उत्तर प्रदेश शासन

ग्राम्य विकास अनुभाग-2

संख्या-44/2021/एस-138/38-2-2021-2(31)एस(ए)/2010 टीसी

लखनऊ: दिनांक: अगस्त, 2021

कार्यालय-ज्ञाप

वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार राज्य कर्मचारियों के लिये सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए0सी0पी0) की व्यवस्था लागू किये जाने हेतु वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-773/दस-62(एम)/2008 दिनांक 05 नवम्बर, 2014 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत दीनदयाल उपाध्याय, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, लखनऊ के अधिकारियों को सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए0सी0पी0) की सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु शासन स्तर पर निम्नलिखित स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया जाता है :-

(1) श्री अवधेश कुमार तिवारी, विशेष सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन । - अध्यक्ष

(2) श्री सुधीन्द्र कुमार, विशेष सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन । - सदस्य

(3) श्री राजेश कुमार पाण्डेय, अपर आयुक्त वित्त, कार्यालय आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0, लखनऊ - सदस्य

2- उक्त स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा अपनी संस्तुतियॉ बैठक की तिथि से 15 दिन की अवधि में संबंधित पदों के नियुक्ति प्राधिकारी/वित्तीय स्तरोन्नयन स्वीकृत करने हेतु सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत की जायेंगी।

रमेश चन्द्र मिश्र
उप सचिव।

संख्या-44/2021/एस-138(1)/38-2-2021 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महानिदेशक, दीनदयाल उपाध्याय, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब लखनऊ।
(2) आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0, लखनऊ ।
(3) स्क्रीनिंगकमेटी के अध्यक्ष/सदस्यगण ।
(4) गार्ड बुक।

आज्ञा से,
रमेश चन्द्र मिश्र
उपसचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in